संख्या-314/2017/201/22-2-2017-17(49)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र श्री ओमसिंह जाट निवासी जनपद-गाजियाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4064/प्रोबेशन-3/(एम-13-02-2017) दिनांक-13-02-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र श्री ओमसिंह जाट, निवासी-घेघा, थाना-मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने राम भरोसे से 40 हजार रूपये लिये थे जिसे वापस न कर टालमटोल करने के विवाद में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12.01.2002 को अपहरण कर अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ बब्लू एवं शिवसिंह ने मृतक राम भरोसे की हत्या कराना स्वीकार किया तथा दिनांक 15.01.2002 को राम भरोसे का शव पंहुच नदी के किनारे से बरामद कराया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-528/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364/34 व 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-8, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 28.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2017 तक 15 वर्ष 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 04 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य अपराध किये जाने की सम्भावना होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने राम भरोसे (मृतक) से लिये गये 40 हजार रूपये वापस न कर टालमटोल करने के विवाद में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12.01.2002 को अपहरण कर हत्या कराने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 41 वर्ष लगभग है, शारीरिक रूप से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वस्थ होने के साथ पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र श्री ओमसिंह जाट को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च नयायालय में योजित रिट याचिका सं0-26043(एम0बी0)/2016 सतेन्द्र उर्फ बब्लू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 के अनुपालन तथा उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सतेन्द्र उर्फ बब्लू (बन्दी संख्या-12809) पुत्र श्री ओमसिंह जाट निवासी जनपद-गाजियाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-314/2017/201(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-314/2017/201/22-2-2016-17(49)/2017

दिनांक 21 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र श्री ओमसिंह जाट, निवासी-घेघा, थाना-मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने राम भरोसे से 40 हजार रूपये लिये थे जिसे वापस न कर टालमटोल करने के विवाद में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12.01.2002 को अपहरण कर अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ बब्लू एवं शिवसिंह ने मृतक राम भरोसे की हत्या कराना स्वीकार किया तथा दिनांक 15.01.2002 को राम भरोसे का शव पंहुच नदी के किनारे से बरामद कराया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-528/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364/34 व 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-8, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 28.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2017 तक 15 वर्ष 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 04 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य अपराध किये जाने की सम्भावना होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने राम भरोसे (मृतक) से लिये गये 40 हजार रूपये वापस न कर टालमटोल करने के विवाद में 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12.01.2002 को अपहरण कर हत्या कराने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 41 वर्ष लगभग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र श्री ओमसिंह जाट को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in